



Neutral Citation No. - 2026:AHC:180840

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 4132 सन् 2026

किशोर

..... पुनरीक्षणकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणकर्ता(गण) के अधिवक्ता : राजेश सिंह, विशाल सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : कंचन चौधरी, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा

1. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपने प्राकृतिक संरक्षक के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम-2015 की धारा 102 के अंतर्गत इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान पुनरीक्षण को स्वीकार किया जाए तथा किशोर न्यायालय/विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम)-प्रथम, हाथरस द्वारा आपराधिक अपील संख्या 09 सन् 2026, ("एक्स" बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में पारित दिनांक 15.5.2026 के निर्णय एवं आदेश तथा किशोर न्याय बोर्ड, हाथरस द्वारा आपराधिक वाद संख्या 26 सन् 2026, धारा 137(2)/87/65(1) भारतीय न्याय संहिता एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4(2) तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)5, थाना हाथरस जंक्शन,

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जनपद हाथरस में पारित दिनांक 23.4.2026 के जमानत निरस्तीकरण आदेश को अपास्त किया जाए तथा आगे यह कृपा की जाए कि आपराधिक वाद संख्या 26 सन् 2026, धारा 137(2)/87/65(1) भारतीय न्याय संहिता एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4(2) तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)5, थाना हाथरस जंक्शन, जनपद हाथरस में संबंधित किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष विचारण लंबित रहने के दौरान किशोर को जमानत पर रिहा किया जाए।

3. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पुनरीक्षणकर्ता की आयु लगभग 16 वर्ष है और वह दिनांक 18.01.2026 से संप्रेक्षण गृह में है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि पीड़िता की आयु भी लगभग 15 वर्ष थी, जिसका पुनरीक्षणकर्ता के साथ 2 वर्षों से प्रेम संबंध था। पीड़िता ने स्वयं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन किया कि उसका पुनरीक्षणकर्ता के साथ प्रेम संबंध था और वह इंस्टाग्राम पर 2 वर्षों से उसके साथ मित्रता में थी। उसने स्वयं पुनरीक्षणकर्ता को फोन किया और उसके साथ रेलगाड़ी से बंबई गई, जहाँ वह किराए के कमरे में पति-पत्नी के रूप में रही तथा दिनांक 25.12.2025 को एक मंदिर में विवाह भी किया। उसने आगे पुनरीक्षणकर्ता के साथ रहने की अपनी इच्छा भी व्यक्त की, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि वह स्वेच्छा से पुनरीक्षणकर्ता के साथ रहने के लिए इच्छुक थी। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई बल प्रयोग नहीं किया गया।
4. जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्तमान अपचारी के विरुद्ध कुछ भी प्रतिकूल नहीं है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 में निहित प्रावधानों पर किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है। विद्वान किशोर न्याय बोर्ड ने जमानत आवेदन का निर्णय करते समय इन सभी तथ्यों पर विचार नहीं किया और विद्वान अपीलीय न्यायालय ने भी अपील को निरस्त करते समय अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार नहीं किया, जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। अपचारी दिनांक 11.01.2026 से किशोर देखरेख गृह में है और उसका मनोविज्ञान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है, अतः किशोर न्याय बोर्ड तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने तथा आपराधिक पुनरीक्षण को स्वीकार करने की प्रार्थना की गई है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा विपक्षी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने उपर्युक्त प्रार्थना का विरोध किया और तर्क प्रस्तुत किया कि कथित घटना के समय पीड़िता अवयस्क थी तथा पुनरीक्षणकर्ता की आयु लगभग 16 वर्ष थी। पुनरीक्षणकर्ता पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया, अतः उसे निर्दोष नहीं कहा जा सकता।
6. वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों, प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तु, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अंतर्गत पीड़िता के बयान, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 में निहित प्रावधानों तथा जिला परीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय ने प्रासंगिक प्रावधानों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर समुचित रूप से विचार नहीं किया है, बल्कि अपना न्यायिक विवेक प्रयोग किए बगैर आदेश पारित किया है। इस प्रकार, इस पुनरीक्षण में आधार प्रतीत होता है और किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किए जाने योग्य हैं।
7. तदनुसार, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित दिनांक 15.5.2026 के आदेश तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 23.4.2026 के आदेश एतद्वारा अपास्त किए जाते हैं और वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण एतद्वारा **स्वीकार** किया जाता है।
8. यह निर्देशित किया जाता है कि अपचारी/आवेदक को पुनरीक्षणकर्ता (अपचारी के विधिक संरक्षक) द्वारा व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के 2 प्रतिभू प्रत्येक प्रस्तुत किए जाने पर, संबंधित किशोर न्याय बोर्ड की संतुष्टि पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-
 - (i) पुनरीक्षणकर्ता/प्राकृतिक संरक्षक इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि जमानत पर रिहा किए जाने के पश्चात पुनरीक्षणकर्ता को किसी ज्ञात अपराधी के संपर्क या संगति में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी अथवा उसे किसी नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे के संपर्क में नहीं आने दिया जाएगा तथा आगे यह कि पिता यह सुनिश्चित करेगा कि किशोर द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति न की जाए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(ii) पुनरीक्षणकर्ता/प्राकृतिक संरक्षक इस आशय का वचनपत्र भी प्रस्तुत करेगा कि किशोर उपयुक्त स्तर पर अपनी पढ़ाई जारी रखेगा, जिसके लिए उसे अन्य रचनात्मक गतिविधियों के साथ प्रोत्साहित किया जाएगा तथा उसे अनुत्पादक और अत्यधिक मनोरंजक गतिविधियों में अपना समय व्यर्थ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) किशोर और पुनरीक्षणकर्ता/प्राकृतिक संरक्षक प्रत्येक कैलेंडर माह के प्रथम सोमवार को परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे।

(iv) परिवीक्षा अधिकारी किशोर की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेगा तथा नियमित रूप से उसकी सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसे संबंधित किशोर न्याय बोर्ड को ऐसी आवधिकता के आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि किशोर न्याय बोर्ड निर्धारित कर सकता है।

31 अगस्त, 2026

जी.एस.एस.

(न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”